

प्ररूप 16  
[ देखिए नियम 69ढ 4(ग)]

बड़ा लिफाफा “ख”

नगरपालिका / नगरपरिषद् ..... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा  
नगरपालिका / नगरपरिषद् ..... की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से सदस्य के  
चुनाव में प्रयोग किया जाये।

**लिफाफा “ख”**

**सरकारी बिना टिकट**

प्रत्येक अधिकारी जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है वह अविलम्ब  
पते पर इसका वितरण सुनिश्चित करेगा। {नियम 50क (4)}

**निर्वाचन—अविलम्ब**

**डाक मतपत्र**

नगरपालिका / नगरपरिषद् ..... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका /  
नगरपरिषद् ..... की वार्ड / निर्वाचन क्षेत्र संख्या ..... से सदस्य  
के चुनाव के लिये।

(गणना से पूर्व नहीं खोला जाना है)

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

\*\* .....  
.....  
.....

भेजने वाले के हस्ताक्षर.....  
.....  
.....

\*\* रिटर्निंग अधिकारी यहां पर पूरा पता वर्णित करें।